रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 220] नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 1985/ज्येष्ठ 8, 1907
No. 220] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 1985/JAISTHA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 1985

सा. का. नि. 462 (अ)/आ.व./ईख—केन्द्रीय सरकार, ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उसके उपखंड (1) में वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझती है और ईख की आधारिक न्यूनतम कीमत 14.00 रुपए प्रति क्विंटल के आधार पर जो 8.5 प्रतिशत या उससे कम

वसूली से सहबद्ध है, जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वसूली की वृद्धि पर 16.4706 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम है इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात कड़ाह प्रक्रिया वाले चीनी कारखाने के स्वामियों द्वारा या उनके अभिकर्ताओं द्वारा उनके कारखानों के द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र पर 30 सितम्बर, 1985 को समाप्त होने वाले ईख वर्ष 1984-85 के लिए परिदत्त ईख के लिए संदेय होगी किन्तु ऐसा, उक्त आदेश के खण्ड 3क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

अनुसूची

क्र.सं.	फ़ैक्ट्री का नाम	गन्ने का रुपयों में प्रति क्विंटल न्यूनतम मूल्य
1.	मै. शिरपुर शेतकारी सहकारी शक्कर कार-खाना लि., पोस्ट शिरपुर, जिला धुले (महाराष्ट्र)	14.00

[सं. 3-4/84-एस. पी. बाई. (डी-2)]

एन. आर. बनर्जी, संयुक्त सचिव (चीनी)

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 1985

G.S.R. 462(E)/Ess. Com./Sugarcane—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and having regard to the various factors mentioned in sub-clause(1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies, and associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 14.00 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 16.4706 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, hereby fixes the price specified

in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price that shall be payable by the owners of the vacuum pan proeess sugar factory specified in the corresponding entry in Column (2) of the said Schedule or their agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for the sugar year 1984-85, ending the 30th September, 1985, subject to the rebates, payable, therefor, under clause 3A of the said Order

SCHEDULE

S. No	Name of the factory	Minimum sugarcane price in rupees per quintal
1	2	3
1.	M/s. Shirpur Shetkhari Sahakari Sakhar Karkhane Ltd., Post-Shirpur, Distt Dhule (Maharashtra)	14.00

[No. 3-4/84-Spy(D.-II)]

N. R. BANERJI, Joint Secy. (Sugar)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985